P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-4* December- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्राचीन भारत में प्रशासन – एक आलोचनात्मक अवलोकन

Administration in Ancient India – A Critical Overview

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 25/12/2020, Date of Publication: 26/12/2020

नवीन गुप्ता
शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारतीय प्रशासन के ऐतिहासिक कालखंड में अनेक प्रशासनिक संगठनो का उदय हुआ और समाप्त हुए हालांकि, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की दो मूलभूत विशेषताएँ है जो अत्यधिक समय तक विद्यमान रही है। प्राथमिक व मुख्य इकाई के रूप में गांवों का महत्व और केन्द्रीकरण व विकेन्द्रीकरण जैसे दो विपरीत दृष्टिकोणों के मध्य समन्वय। संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था बहुत कुछ वैदिक काल से ही विकसित हुई है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में स्रोत उपलब्ध है। भारतीय प्रशासन के संगठन और कार्यों के बारे में बहुत सी जानकारिया वैदिक साहित्य, बौद्ध ग्रंथों, जैन साहित्य, धर्मशास्त्रों, भारतीय पुराणों, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। भारत में प्राचीन काल में राज्यों को प्रशासित करने की शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रीकृत थी। प्राचीन भारत में राजशास्त्र के लिए अनेक शब्दों एवं नामों का प्रयोग हुआ है। कुछ ग्रंथकारों ने इसे 'नृपशास्त्र' कहा है तो अन्य आचार्यों ने इसके लिए 'दंडनीति', 'अर्थशास्त्र' और 'नीतिशास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है।

In the historical era of India many administrative organisations came into existence and ended, but two fundamental specifications remained till now. First and primary importance of villages and the coordination between two opposite approaches like centralization and decentralization. In short present Indian Administrative System is very much influenced and developed from Vedic times. There are many sources available to get a clear view of Indian Administrative System. A very detailed information on the organization and functions of Indian administration can get from sources like Vedic Sahitya, Bauddh Granth, Jain Sahitya, Dharmshastras, Indian Purans, Ramayana, Mahabharat, Manusmriti, Shukraniti and Arthshashtra . Since Ancient times state governance fully centralised under the King. There are many names used in terms of Rajshastra in India. Some authors have called this 'Nripshastra' and other used 'Dandniti', 'Arthshashtra', and 'Nitishastra'

मुख्य शब्द : भारतीय प्रशासन Indian administration , वैदिक साहित्य Vedic Sahitya, बौद्ध ग्रंथों Bauddh Granth, जैन साहित्य Jain Sahitya, धर्मशास्त्रों Dharmshastras , भारतीय पुराणों Indian Purans, रामायण Ramayana, महाभारत Mahabharat , मनुस्मृति Manusmriti, शुक्रनीति Shukraniti , अर्थशास्त्र Arthshashtra , नृपशास्त्र Nripshastra , दंडनीति Dandniti, नीतिशास्त्र Nitishastra.

प्रस्तावना

भारतीय प्रशासन के ऐतिहासिक कालखंड में अनेक प्रशासनिक संगठनो का उदय हुआ और समाप्त हुए हालांकि, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की दो मूलभूत विशेषताएँ है जो अत्यधिक समय तक विद्यमान रही है। प्राथमिक व मुख्य इकाई के रूप में गांवों का महत्व[1] और केन्द्रीकरण व विकेन्द्रीकरण जैसे दो विपरीत दृष्टिकोणों के मध्य समन्वय। संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था बहुत कुछ वैदिक काल से ही विकसित हुई है।

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में स्रोत उपलब्ध है। भारतीय प्रशासन के संगठन और कार्यों के बारे में बहुत सी जानकारिया वैदिक साहित्य, बौद्ध ग्रंथों, जैन साहित्य, धर्मशास्त्रों,

भारतीय पुराणों, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। भारत में प्राचीन काल में राज्यों को प्रशासित करने की शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रीकृत थी। प्राचीन भारत में राजशास्त्र के लिए अनेक शब्दों एवं नामों का प्रयोग हुआ है। कुछ ग्रंथकारों ने इसे 'नृपशास्त्र' कहा है तो अन्य आचार्यों ने इसके लिए 'दंडनीति', 'अर्थशास्त्र' और 'नीतिशास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है।

वैदिक काल में राजा को कई अधिकारियों द्वारा उनके कार्यों में सहायता की जाती थी। वह अपने दोस्तों और प्रमुख अधिकारियों के एक घेरे से घिरा हुआ था। रामायण [2] और महाभारत के दो महाकाव्यों में इसके बारे में संदर्भ है। इसी तरह का संदर्भ मनुस्मृति और शुक्रनीति में भी पाया जाता है। प्राचीन भारत की प्रशासकीय व्यवस्था के विषय में अध्ययन करते समय कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। हिंदू राज्य व्यवस्था विषयक ग्रन्थों में 'अर्थशास्त्र' अग्रणी ग्रंथ है। क्योंकि पूर्ववर्ती व तत्कालीन दूसरे ग्रंथो के रचयिताओं की तुलना में चाणक्य ने गहन विचारों तथा वैज्ञानिक विवेचन का आश्रय लिया है। इनका प्रमुख योगदान यह है कि इन्होने हिंदू शासन व्यवस्था को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। 'अर्थशास्त्र' 15 अधिकरणों में विभाजित है इसमें राजनीति एवं प्रशासन के विभिन्न पक्षों जैसे राजधर्म, विधि एवं दंड, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, युद्ध एवं संधि, प्रशासनिक संगठन, सैन्य संगठन आदि का विस्तृत विवेचन है। कामन्दक ने 'नीतिसार' में कौटिल्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह नर–चंद्र है जिसने सभी अर्थशास्त्रों का मंथन करके अमृत–तत्व को प्राप्त किया, जिसने वज्र बनकर नंदवंश का नाश किया एवं राजविद्या व कूटनीति के ज्ञान के बल पर चन्द्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया।[3]

कौटिल्य के सिद्धांतों की महत्ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत के महाकवियों–कालीदास एवं दांडी ने अपने ग्रन्थों में कौटिल्य का बार–बार उल्लेख किया है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के सिद्धांतों का कोई विशिष्ट विवरण नही है बल्कि यह उन अधिकरणों में शामिल है जिनमें राजा, उसके मंत्रियों तथा विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों के गुणों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में प्राचीन भारत में लोक प्रशासन के ढांचे को समझने की दृष्टि से चार अधिकरण सर्वाधिक प्रासंगिक है। ये है– प्रथम–विनयाधिकरण (अनुशासन के विषय मे), द्वितीय– अध्यक्षप्रचार (सरकारी अधीक्षकों के कर्तव्य), पंचम– वृत्ताधिकरण (दरबार के सलाहकारों का आचरण) और षष्ठम– योन्यधिकरण (संप्रभु राज्यों का स्रोत)।

भारत के इतिहास में पहली बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यालयों के बारे में एक विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया है। इस समय तक प्रशासनिक प्रणाली पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। इस प्रकार प्राचीन भारतीय प्रशासन का विकास चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक महान के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुँच गया था। गुप्तकाल में मौर्यकालीन प्रशासनिक संस्थाए और भी विकसित हो गई। उनके कालखंड में प्रशासन के क्षेत्र में विविध गतिविधियाँ सम्पन्न हुई।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्राचीन भारत में शुरू हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, साम्राज्यों को प्रशासनिक दृष्टि से प्रांतो, प्रांतो को जिलो में और जिलों को शहरी और ग्रामीण केन्द्रो में विभाजित किया गया था। प्राचीन काल के दौरान राज्य प्रशासन कई विभागों में विभाजित था। वैदिक काल में ऐसे विभागों की संख्या सीमित थी। धीरे–धीरे, ऐसे विभागों की संख्या और उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हुई। इसके लिए हमे वैदिक साहित्य और बाद के स्रोतों से कई संदर्भ प्राप्त हो सकते है। प्राचीन भारतीय प्रशासन में लोक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार, पदानुक्रम के सिद्धांत को एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के बीज उपस्थित थे। इस तरह की पूर्ण विकसित प्रशासनिक व्यवस्था चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में उपस्थित थी। पदानुक्रम के सिद्धांत के साथ – साथ अवलोकन और निरीक्षण पर बहुत ज़ोर दिया गया था।[4] सरकारी कर्मियों की भर्ती, योग्यता, वेतन, अवकाश, पेंशन आदि का भारत की प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था में उल्लेख प्राप्त होता है जो की वर्तमान कार्मिक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन भारत में एक केंद्रीय कार्यालय का संगठन मौजूद था जहाँ सभी सरकारी अभिलेख सुरक्षित रखे जाते थे। यह सरकार के सचिवालय के तरह था, जिसमें विभिन्न सरकारी कर्मचारी–अधिकारी राज्य प्रशासन के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। ऐसे कार्यालय का उल्लेख मौर्य काल और चोल साम्राज्य में पाया जाता है। राजा निजी सचिवों की नियुक्ति भी करता था। संक्षेप में, केंद्रीय कार्यालय का मुख्य कार्य प्रांतीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकार का नियंत्रण और निरीक्षण था।[5]

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय प्रशासन एक समृद्ध विरासत और निरंतरता का परिणाम है। यह कहना सही है कि इसके विकास के चरण किसी न किसी रूप में अतीत से जुड़े हैं। हालाँकि, भारत में मौजूदा प्रशासनिक प्रणाली को ब्रिटिश सरकार का योगदान कहा जा सकता है।

भारतीय प्रशासन आरंभ से जनजातीय प्रणाली के रूप में जाना जाता था जो बाद में एक राजतंत्रीय प्रणाली के रूप में उभरती है। हम प्राचीन धार्मिक और राजनीतिक ग्रंथों से प्राचीन भारतीय प्रशासन के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। शुरुआती वैदिक काल में कई जनजातियां थीं जिन्होंने अपने स्वयं के प्रमुख चुने और उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को संभाला और जनजातियों के प्रशासन और सभा (उच्च लोगो की सभा) और समिति (आम लोगो की सभा) आदिवासी सभाएं थीं।[6] इसके प्रमुख ने जनजाति की रक्षा की, लेकिन उनके पास कोई राजस्व प्रणाली नहीं थी या भूमि पर पकड़ नहीं थी, इसलिए युद्धों का सहारा लिया गया और इसे जनजातियों के बीच साझा किया गया।

भारत में 'राज्य' के पहले के रूप को मनु के समय से पता लगाया जा सकता है (मनु का मूल नाम सत्यव्रत था जो हिंदू धर्म के अनुसार मानव जाति का

पहला राजा और पूर्वज था)। समाज के मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई तटस्थ न्यायाधीश/मध्यस्थ नहीं होने के कारण लोग अराजकता से तंग आ चुके थे, और इसलिए उन्होंने मनु को राजा के रूप में नियुक्त किया और अपनी देखभाल करने के लिए लोगो ने करों के रूप में सेवा शुल्क का भुगतान किया और उसके ज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण समाज में सभी के लिए पारस्परिक लाभ और न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम समझा जाता था एवं राजा दिव्य और ईश्वर का दूत माना जाता था।[7]

रामायण और महाभारत/बाद के वैदिक काल के अनुसार, प्रशासन में राजा की भूमिका सर्वेसर्वा के रूप में थी जिसमें उसके मुख्य अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता था जो पुरोहित और सेनानी थे, जहाँ पुरोहित (पुजारी) क्षत्रिय राजाओं (योद्धा कबीले) से ज्यादा सत्ता धारण व प्रयोग करते थे। प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति कोषाध्यक्ष, प्रबन्धक, जासूस और संदेशवाहक, सारथी, पुलिस अधीक्षक शामिल थे। इसका उल्लेख मनुस्मृति और शुक्रनीति में भी है।

कोई कानूनी संस्थाएं नहीं थीं और देश की परंपराए कानून के रूप में प्रचलित थी और मृत्युदंड का चलन नहीं था, लेकिन अभियोग चलता था और राजा अपने राज्य के पुरोहितों और उच्च लोगो के परामर्श से न्याय करता था। जिस समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा तब तक भारत की प्राचीन प्रशासनिक प्रणाली अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी और कौटिल्य का ग्रंथ सबसे पहले इसका विस्तृत विवरण देता है।

साहित्यावलोकन

'आस्पेक्ट ऑफ़ एनसिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन' अभिनव पब्लिकेशंस, 1979, डी. के गांगुली – इस पुस्तक में राजा, रानी, युवराज, राजगुरु, मंत्री, संधिविग्रहिका, राजदूत, न्यायाधीशो के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का एक व्यापक, महत्वपूर्ण और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

'किंग, गवर्नेंस एंड लॉ इन एनसिएंट इंडियाः कौटिल्यास अर्थशास्त्र' ओयूपी यूएसए पब्लिकेशन, 2013, सम्पादक – पैट्रिक ओलिवेले – यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विस्तृत अनुवाद प्रस्तुत करता है। जब यह 1923 में खोजा गया था, तो अर्थशास्त्र को संस्कृत साहित्य की पूरी श्रृंखला में शायद सबसे कीमती काम बताया गया था, एक आकलन जो अभी भी सच है। इस महत्वपूर्ण पुस्तक का यह नया अनुवाद, भारतीय इतिहास में उस काल से लेकर आज तक के ग्रंथों, शिलालेखों, और पुरातत्व और कला ऐतिहासिक ज्ञान के हमारे ज्ञान में कई महत्वपूर्ण प्रगति को ध्यान में रखता है। (2–3 शताब्दी सीई के अंतर्गत आता है, हालांकि इसके कुछ हिस्से अधिक पुराने हो सकते हैं)।

'आस्पेक्ट ऑफ़ पोलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्युशंस इन एनसिएंट इंडिया' मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, 1991, राम शरण दास – इस पुस्तक में प्राचीन भारत में राजनीतिक विचारों और संस्थानों के वर्तमान कार्य पहलू प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति पर विभिन्न विचारों पर चर्चा करते हैं। यह राज्य गठन के चरणों और प्रक्रियाओं से भी संबंधित है और राजनीति के निर्माण के लिए जाति और परिजनों की सामूहिकता की प्रासंगिकता की जांच करता है। वैदिक सभाओं में कुछ विस्तार से अध्ययन किया गया है, और राजनीतिक संगठन के विकास को उनकी बदलती सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक यह भी बताती है कि शासक वर्ग की सेवा में धर्म और कर्मकांड कैसे लाए गए।

'कॉर्पोरेट लाइफ इन एनसिएंट इंडिया' क्रिएटिव मीडिया पार्टनर्स, 2019, आर सी मजूमदार – इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित किया गया है इसमें कई सारे पुराने तथ्य छुट गये है और बहुत से चित्र स्पष्ट नही है लेकिन इसके बावजूद यह पुस्तक प्राचीन भारत के गौरवशाली और महान जीवनशैली को संदर्भ सहित प्रस्तुत करता है।

'इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया' ओयूपी इंडिया पब्लिकेशन्स, 1993, रोमिला थापर – इस पुस्तक में प्रोफेसर थापर समकालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय अतीत पर अच्छी तरह से स्थापित विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और उनकी स्थिति का तर्क देती हैं – जैसे कि हिंदुओं और अन्य भारतीय समुदायों के बीच विवाद। इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है और पाठकों को हमारे अतीत, विशेष रूप से प्राचीन भारत में धर्म और समाज पर उपलब्ध विचारों और विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर विचार करने के लिए रखना चाहिए। इस खंड में भारतीय जाति और समाज पर दुर्खीम और वेबर के विचारों पर निबंध हैं, डी. डी. कोसाम्बी का भारतीय इतिहासलेखन में योगदान और कई समुदायों और विविध पहचानों के अस्तित्व पर तथ्यों की अनदेखी करके प्रारंभिक भारत में एक समग्र हिंदू धर्म को प्रस्तुत करने के हाल के प्रयासों पर विचार रखा गया है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र

मौर्य काल भारतीय प्रशासन के विकास का प्रमुख युग था। विकेंद्रीकरण प्रचलित था क्योंकि प्राचीन काल से ही ग्राम इकाइयों ने प्रशासन के आधार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुशल प्रशासन के लिए प्रांतों, प्रांतों को जिलों में, जिलों को ग्रामीण और शहरी केंद्रों में विभाजित किया गया था।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वार्ता (अर्थशास्त्र का विज्ञान) और दण्डनीति (राज्य प्रशासन का प्रबंधन) के संबंध में समकालीन मौर्य शासन पर आधारित कृति था। यह 321 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। इसे 1904 ईसवी में पुनः प्राप्त किया गया था और 1909 ईसवी में आर. शमाशास्त्री द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह मुख्य कार्यकारी, पदानुक्रम, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासन, पर्यवेक्षी प्रबंधन, प्रेरणा, मनोबल और नौकरी विवरण जैसे कार्यों को छूता है।

अर्थशास्त्र का सबसे ध्यान देने वाला पहलू एक निरंकुश कृषि राज्य में भी लोक कल्याण पर बल देना है। इसकी रचना संक्षिप्त कथनों के रूप में की गयी है जिसे सूत्र कहा जाता है और इसे 15 पुस्तकों (अधिकरणों), 150 खंडों, 180 अध्यायों (प्रकरणों), 6000 छंदों (सूत्रों) में संकलित किया गया है।[8]

15 पुस्तकों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. अर्थशास्त्र और राज्य–व्यवस्था के अनुशासन के बारे में।
2. सरकारी अधीक्षक के कर्तव्य।
3. कानून के विषय में।
4. राज सिंहासन को हटाना।
5. दरबारियों का आचरण।
6. संप्रभु राज्य के स्रोत।
7. छह गुना नीति।
8. आपदाओं के संबंध में।
9. एक आक्रमणकारी का कार्य।
10. युद्ध से संबंधित।
11. एक निगम के आचरण।
12. एक शक्तिशाली दुश्मन के बारे में।
13. एक किले पर कब्जा करने का रणनीतिक तरीका।
14. गुप्त अर्थात दुश्मनो या धोखेबाजों से बचाव का रहस्यमय अभ्यास और
15. उपचार।
16. प्रकरण की योजना और एक विषय के उपचार की बत्तीस विधियाँ।[9]

कौटिल्य ने राज्य को मानव उन्नति के लिए एक संस्थागत आवश्यकता के रूप में देखा। उनके अनुसार राज्य की संप्रभुता के लिए सात तत्व आवश्यक है – राजा, मंत्री, देश, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र।[10] राज्य का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, अनिष्ठ कृत्य करने वालों को दंडित करना और संपत्ति की सुरक्षा करना था।

साम्राज्य को केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक गृह प्रांत की राजधानी क्षेत्र या प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया था और चार से पांच दूरस्थ प्रांतों (राज्यों), प्रत्येक एक केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी था। प्रांत इस सामंती–संघीय प्रकार के संगठन में अच्छी मात्रा में स्वायत्तता धारण करते थे। प्रांतों को आगे जिलों और जिलों को ग्रामीण और शहरी केंद्रों में विभाजित किया गया था,

जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रभारी अधिकारी थे।[11] मौर्य युग में प्रभुत्व वाले विशेषज्ञों के साथ इन सभी प्रभागों में नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग बनाए गए थे। नौकरी की भर्ती और प्रक्रिया के लिए पात्रता को प्राथमिकता दी गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया वही है जो आज प्रचलित है।[12] कैबिनेट सचिवालय की तरह सभी सरकारी लेनदेन और अभिलेखों का एक केंद्रीकृत डेटा बैंक संगठन केंद्र में बनाया गया था और यह लेखा परीक्षा और निरीक्षण का कार्य सरकार के तीनों स्तरों स्थानीय, राज्य और केंद्र में संपादित करता था।[13]

यह ढाँचा हमारे वर्तमान समय के बहुत समान है जहाँ केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जहां राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों या उपराज्यपाल के रूप में केंद्र का प्रतिनिधि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष देखरेख में शासन करता है। राष्ट्रपति (पुराने समय में राजा) के प्रसादपर्यंत नियुक्त गवर्नर (पुराने समय में वायसराय) के अधीन राज्य हैं। राष्ट्रपति को उनके मंत्रियों द्वारा सलाह दी जाती है और संप्रभुता देश के लोगों में निहित है। इसके अलावा, संघीय ढांचे के राज्य सूची के अंतर्गत शक्तियाँ राज्यों को, जिला प्रशासन संगठन और पदसोपान को भी दी गयी थी। नीति कार्यान्वयन व कार्य सम्पादन के लिए सिविल सेवकों की भर्ती की गई।

राजा प्रमुख थे और उनके कार्य सैन्य, न्यायिक, विधायी और कार्यकारी थे, जो आधुनिक राज्य के राष्ट्रपति के कार्यों के समान थे, उन्हें अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से अर्थशास्त्र, दर्शन, राज्यशास्त्र और तीन वेदों से सुसज्जित होना था। कौटिल्य ने कहा है कि एक बुद्धिमान राजा अपनी संप्रभुता के गरीब और दुखी तत्वों को भी सुखी और समृद्ध बना सकता है; लेकिन एक दुष्ट राजा निश्चित रूप से अपने राज्य के सबसे समृद्ध और वफादार तत्वों को नष्ट कर देगा।[14] राजा पिता की तरह था और देश या साम्राज्य के सभी लोग या साम्राज्य उसके बच्चे थे।[15] यह दिखाता है कि वह उनकी देखभाल कैसे करता है। कौटिल्य के इस दृष्टिकोण को आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्य माना गया।

भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया गया और गंभीरता से निपटा गया एवं अनिष्ठ तरीके से अर्जित किए गए धन को जब्त कर लिया गया। इस तरह के अधिकारियों के चयन के लिए कौटिल्य के अपने मापदंड थे। एक बार बुनियादी योग्यताएं पूरी हो जाने के बाद, उन्होंने उनके व्यवहार को धर्मनिष्ठा, अपलाभ या राजस्व, वासना, भय के संबंध में परीक्षण किया। धर्मनिष्ठा के इस मानदंड को पूरा करने वालों को न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया और जो लोग अपलाभ या राजस्व का परीक्षा पार कर गए वे राजस्व कलेक्टर बन गए, और जो लोग वासना परीक्षा पास कर लिए वे राजा के हरम (स्त्रीगृह) में नियुक्त हुए,[16] भय की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को राजा के अंगरक्षकों और व्यक्तिगत कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था और जो सभी परीक्षा पास करते थे उन्हें सभासदो के रूप में नियुक्त किया जाता था।[17]

अर्थशास्त्र के अनुसार दो न्यायालय थे जिन्हें धर्मस्थ (सिविल केस कोर्ट) कहा जाता था, जहाँ मामलों का निपटारा धर्म, प्रक्रियात्मक कानून, अभिसमय, राजकीय आज्ञाओं के आधार पर किया जाता था और कंटकशोधन (आपराधिक मामले अदालत) जहां अभियुक्त को गवाही और जासूसों के चश्मदीद गवाह आदि के आधार पर दोषी ठहराया जाता है[18] आज के समय के समान हैं जहां अलग–अलग नागरिक या आपराधिक विषय के क्षेत्राधिकार अदालतें हैं।

कृषि मुख्य आधार था और उत्पादित वस्तुओं और करों के साथ–साथ इसके आयात और निर्यात राजस्व का स्रोत थे और व्यय के संबंध में सार्वजनिक प्रशासन, राष्ट्रीय रक्षा, सेना, सरकार के अधिकारियों के वेतन पर ध्यान केंद्रित करते थे। हमारे देश में आज भी कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस प्रकार हम देखते है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सरोकार उचित रणनीति और केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली से है जिसमें कि राजा और उसके मंत्रियों द्वारा कार्य सम्पादन के समय लोककल्याण के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है।

कौटिल्य के राज्य की कमजोरियाँ

1. अत्यधिक पर्यवेक्षण – बहुत अधिक जाँच और संतुलन।
2. संस्थानों के बजाय व्यक्तियों पर प्रमुखता।
3. अधिकारियों का मौलिक अविश्वास।

कौटिल्य के प्रशासन, आधुनिक कार्मिक प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच संबंधँ

कार्मिक प्रशासन

भर्ती की एक प्रणाली थी और नौकरी का विवरण भी था। मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को वेतन स्पष्ट रूप से दिया जाता था। यदि नौकरी से संबंधित अधिकारी असाधारण सेवा प्रदान करते हैं, तो यह नौकरी में स्थायित्व और वेतन या स्थिति में वृद्धि (पदोन्नति) के बारे में भी बताता है।[19] कौटिल्य के अनुसार समय–समय पर कार्मिकों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग से बचाता था।[20] अधिकारियों और मंत्रियों का निष्कासन और कार्यकाल राजा के प्रसादपर्यंत निर्धारित होता था जैसा कि वर्तमान में गवर्नर और अटॉर्नी जनरल आदि के कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत निर्धारित होता है।

लोक प्रशासन

राजा सत्ता का एकमात्र स्रोत था और कर्मियों की नियुक्ति और उन्हें पदच्युत करता था और सरकार के काम को कई मंत्रियों और अधिकारियों के अधीन विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित करता था। कौटिल्य राजा के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ और सामान्यवादी कर्मियों की आवश्यकता पर बल देता है, इस प्रकार कुशल प्रशासन के लिए उनके बीच कार्य–विभाजन और समन्वय की बात करता है। जैसा ऊपर चर्चा की गई है, कि आधुनिक राज्य के जैसा ही संबंधित भर्ती, वेतन और सेवा की शर्तें बहुत स्पष्ट थीं।

आधुनिक राज्य विकास के बारे में अधिक चिंतित है, जबकि कौटिल्य का राज्य राजस्व एकत्रित करने और कर्मियों को राजस्व सुनिश्चित करने और इसमे तेजी लाने का समर्थन करता है, इस प्रकार यह विकास के स्थान पर नियंत्रण की बात करता है। यह स्थानीय स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करता है जो आधुनिक राज्य के स्थानीय स्वशासन मॉडल के अग्रदूत जैसा दिखता है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के बारे में अधिक है, जो कि इसके दर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राज्य मामलों का संचालन कैसे करता है, इस पर आधारित है। नीतिभ्रष्टता पर कठोर दृष्टि बनाए हुए वह अपने दृष्टिकोण में बहुत ही व्यावहारिक है, जिससे कि राजा का शासन और प्रशासन तटस्थ रहे व किसी व्यक्ति को क्षति न पहुचाएँ और तर्कसंगत हो, उत्तरदायित्व, सच्चरित्रता और सतर्कता के साथ एक प्रणाली को कुशल तरीके से संचालित कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मजुमदार, आर. सी. 'कॉर्पोरेट लाइफ इन एंसियंट इण्डिया' , कलकत्ता 1916 पृष्ठ – 60*
2. *नानानगरवास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि।*
   समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान्पृथिवीपतीन।।
   श्रीमद्वाल्मीकि–रामायण (2–1–46)
3. *यस्यभिचार वज्रेण वज्रज्वलन तेजसः।*
   पपात मूलतः श्रीमान सुपर्या नंदपर्वतः।।
   एकाकी मन्त्रशक्त्या यः शक्त्या शक्तिरोधपमः।
   आजहार नृचन्द्राय चंद्रगुप्ताय मेदिनीम।।
   नीतिशास्त्रामृतं धीमानर्थशास्त्र महोदधेः।
   समुद्रध्ये नमस्तस्यै विष्णु गुप्ताय वेघरों।। कामंदक नीतिसार 1/4,5,6
4. *ओलिवेले, पैट्रिक 'किंग, गवर्नेंस एंड लॉ इन एंसिएंट इंडियाः कौटिल्यास अर्थशास्त्र' ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ 43*
5. *वही, पृष्ठ 111*
6. *मजुमदार, आर. सी. " कॉर्पोरेट लाइफ इन एंसियंट इण्डिया", कलकत्ता, 1916 पृष्ठ – 47*
7. *शमाशास्त्री, आर. 'कौटिल्यास अर्थशास्त्र', पृष्ठ 31*
8. *वही, पृष्ठ 8*
9. *वही, पृष्ठ 2*
10. *वही, पृष्ठ 362*
11. *वही, पृष्ठ 60*
12. *वही, पृष्ठ 349*
13. *वही, पृष्ठ 79*
14. *वही, पृष्ठ 364*
15. *वही, पृष्ठ 61*
16. *ओलिवेले, पैट्रिक 'किंग, गवर्नेंस एंड लॉ इन एंसिएंट इंडियाः कौटिल्यास अर्थशास्त्र' ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ 476*
17. *वही, पृष्ठ 76*
18. *डोगरा, शिव कुमार, 'क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया' दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली,2009, पृष्ठ 18–21*
19. *रंगराजन,एल. एन. 'कौटिल्यः द अर्थशास्त्र' पेंगुइन बुक्स इंडिया, 1992, पृष्ठ 56*
20. *वही, पृष्ठ 295–304*